सं. ए-32012/04/2012-सीएचएस.VI

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक : 02 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों की एस-4 लेवल से एस-5 लेवल पर पदोन्नति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर उल्लिखित विषय पर दिनांक 09.08.2016 के इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र तथा दिनांक 17.8.2016 और 07.9.2016 के अनुस्मारकों का अवलोकन करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अनुभाग अर्थात् सीएचएस-VI के दस्तावेजों के अनुसार 01.4.2009 को एस-4 लेवल के 44 अधिकारी पात्र हैं जिन पर विभिन्न पैनल वर्षों के दौरान एस-5 लेवल पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। तथापि, इन अधिकारियों के एसीआर/एपीएआर, जीवनवृत्त, सतर्कता निकासी, शास्ति-विवरण, एस-4 लेवल पर पदोन्नति के आदेश आदि जैसे अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका। अपेक्षित दस्तावेजों की स्थिति संलग्न करते हुए अधिकारियों के संबंध में लंबित दस्तावेजों को इस मंत्रालय को तत्काल भेजा जाए ताकि उनकी पदोन्नति के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके।

2. जहां तक एसीआर/एपीएआर का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि लंबित एसीआर/ एपीएआर को अग्रेषित करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई अंतर्वर्ती एसीआर/एपीएआर उपलब्ध नहीं है तो एसीआर/एपीएआर के स्थान पर एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए जिसमें समुचित कारण दर्शाया गया हो। ऐसे मामले में विचार किए जाने योग्य 5 एसीआर/एपीएआर का मैट्रिक्स पूरा करने के लिए, जिस वर्ष की एसीआर/एपीएआर उपलब्ध नहीं है, उससे पिछले वर्ष की एसीआर/एपीएआर प्रस्तुत की जाए।

3. इसके अतिरिक्त, एस-4 लेवल के गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक, जो ऊपर उल्लिखित सूची के आखिर में उल्लिखित अधिकारी से कनिष्ठ हैं (डॉ. रूप कुमारी, संयुक्त निदेशक, एनसीडीसी दिल्ली जो कि 01.4.2010 से एस-4 लेवल अधिकारी हैं), के नाम और अपेक्षित दस्तावेज भी इस मंत्रालय को तत्काल भेजे जाएं ताकि एस-5 लेवल पर उनकी पदोन्नति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि

(सितांशु मोहन रौतरे)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स : 23062550

सेवा में,

निदेशक, (ए एंड वी),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रति :- निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करें। निदेशक (ए एंड वी) से यह भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधित इकाइयों/संस्थानों की जानकारी में ले आएं।